न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम. के. सिंह,

सदस्य.

.....

प्रकरण क्रमांक निगरानी 559–दो/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–12–99 पारित द्वारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण क्रमांक 211/अ/6/97–98.?

1– मु0 कृष्णा राजा बेवा शैलेन्द्र सिंह ठाकुर
निवासी सुगरहा तहसील गुनौर जिला पन्ना

2– राजू पुत्री शैलेन्द्र सिंह ठाकुर ना.बा. जरिये
बली मां कृष्णा राजा बेवा शैलेन्द्र सिंह ठाकुर
निवासी पवई हाल नि. सुगरहा तहसील गुनौर
जिला पन्ना म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– मनीश कुमार तनय पुष्पेन्द्र सिंह ना.बा.
जरिये बली पिता पुष्पेन्द्र सिंह तनय
चन्द्रभान सिंह ठाकुर
साकिन पवई जिला पन्ना म.प्र.

2– रमेश तनय बल्लम नाई,
निवासी ग्राम शिकारपुरा तह. पवई
जिला पन्ना म.प्र. ——— अनावेदकगण

.....

श्री आर.डी.शर्मा, अधिवक्ता, आवेदकगण ।

श्री ए.के. अग्रवाल, अधिवक्ता, अनावेदकगण ।

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9 –9 –2015 को पारित)

.....

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक अपील 211/अ–6/97–99 में पारित आदेश दिनांक 21–12–99 के विरूद्ध? म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम शिकारपुरा तहसील पवई स्थित प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी अनावेदक कमांक 2 था । जिसका नामांतरण सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा आवेदकों के पिता शैलेन्द्रसिंह के नाम पंजी कमांक–1 दिनांक 16–9–95 द्वारा किया गया जबकि शैलेन्द्र की मृत्यु एक दुर्घटना में दिनांक 31.3.95 को हो गई थी । अनावेदक मनीश कुमार द्वारा उक्त नामांतरण आदेश के विरूद्ध एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की जो उन्होंने 20.4.98 के आदेश द्वारा निरस्त की । इसक आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील में आयुक्त ने आलोच्य आदेशपारित करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है । आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप की अधिकारिता नहीं है । इस कारण उनका आदेश त्रुटि पूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिंदु पर विचार नहीं किया गया कि जिस दस्तावेज में काटा–पीटी की गई हो उस दस्तावेज के आधार पर अनावेदकों के पक्ष में नामांतरण नहीं किया जा सकता । इस कारण प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का कोई आधार नहीं है ।

यह तर्क दिया गया है कि जो विक्रयपत्र है वह आवेदकगण के पक्ष में जिसमें अनावेदकों द्वारा अपने पक्ष में होने की काटा–पीटी की गई है । इस तथ्य को अपर आयुक्त ने अनदेखा किया है ।

4/ अनावेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का विक्रयपत्र उनके पक्ष में हुआ है । ग्राम पंचायत, शिकारपुर द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके

से नामांतरण आवेदकों के पिता के नाम किया गया है जबकि शैलेन्द्रसिंह की मृत्यु 31.3.95 को हो चुकी थी । पंचायत द्वारा नामांतरण बिना इश्तहार का प्रकाशन किए तथा बिना विधिवत प्रकिया के किया गया है ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का प्रत्यावर्तन आदेश उचित है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण नामांतरण का है । अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है उन्होंने स्पष्ट किया है कि शैलेन्द्रसिंह की मृत्यु 31.3.95 को होना मृत्यु प्रमाणपत्र से दर्शित है तथा पंचायत द्वारा नामांतरण की कार्यवाही बिना किसी जांच पड़ताल और सूचना व दस्तावेज का अवलोकन किये की गई जो संहिता की धारा 110 एवं नामांतरण नियम एवं प्रकिया के विपरीत है । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि पंचायत द्वारा विक्रेता को भी सूचना नहीं दी गई है । इस कारण उन्होंने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आयुक्त के आलोच्य आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और उनका आदेश पुष्टि योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारापारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर